सुरक्षित भारत:

कांग्रेस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्य योजना

राष्ट्रीय सुरक्षा एक सर्वव्यापी मुद्दा है। जिसमे राष्ट्र और उसके नागरिकों को संभावित बहुआयामी खतरों से सुरक्षा शामिल के मुद्दे है। एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत को 21वी सदी में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद, जम्मू-कश्मीर में आंतरिक उग्रवाद, देश के कुछ हिस्सों में वामपंथी उग्रवादए हमारे नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी से सम्बंधित डेटा की गोपनीयता, आर्थिक खतरे, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधित खतरे आदि प्रमुख हैं।

कांग्रेस पार्टी ने आंतकवाद पर सदैव जीरो टॉलरेंस रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि माना है। जैसा कि हाल ही में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल (Retd.) डी.एस. हुड्डा ने कहा कि भारतीय सेना को पाकिस्तान और सीमापार आतंकवाद से निपटने के लिए हमेशा, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के खुली छूट दी गयी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों का बेशर्मी से राजनीतिकरण किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के ऐसे सभी प्रयासों की कड़ी निंदा करती है।

कांग्रेस पार्टी लेफ्टिनेंट जनरल (Retd.) डी.एस. हुड्डा द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट "राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति" में सुझाये गए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत के पांच स्तम्भों को स्वीकार करती है। -

1. वैश्विक मुद्दों पर हमारी उचित दखलअंदाजी
2. एक सुरक्षित पड़ोस
3. आतंरिक समस्याओं का शांतिपूर्ण निपटारन
4. जन सुरक्षा
5. अपनी क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

कांग्रेस पार्टी का मानना है की एक समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ऊपर उल्लेखित सुरक्षा सिद्धांत के पांचों स्तम्भों पर केंद्रित होनी चाहिए। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि हम अपने सुरक्षा तंत्र और सैन्य क्षमता को भी मजबूत करें। वर्तमान में यह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक प्रासंगिक हैए क्योंकि पिछले पांच वर्षों में हमारी सैन्य क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था में एक चिंताजनक गिरावट देखी गई है, और यह तब है जबकि सैन्य सुरक्षा पर राजनीतिक बयानबाजी भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। हमारी जीडीपी के समग्र सुरक्षा बजट में गिरावट इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि 2019 में 57 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियों को नजरअंदाज करने के साथ-साथ कूटनीतिक विफलताएं पिछले पांच वर्षों में उत्पन्न हुई हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी चुनौतियाँ हैं। यह सीमा पार से घुसपैठ में 1.5 गुणा वृद्धि और पाकिस्तान से सीजफॉयर उल्लंघन में 5 गुना बढ़ोत्तरी से साबित होता है।

अतः कांग्रेस पार्टी सैन्य तत्परता एवं सुरक्षा क्षमताओं पर यथाशीघ्र ध्यान केंद्रित करेगी जो कि हमारे घोषणा पत्र में राष्ट्रीय एवं आतंरिक सुरक्षा बिंदुओं के रूप में परिलक्षित है।
विशेषतः भारत की शक्तियों को बढ़ाने के लिए हमारे दिशानिर्देश निम्न बिंदुओं पर केंद्रित होंगे-

1. जमीनी एवं समुद्री सीमाओं की सुरक्षा- कांग्रेस भारत की क्षेत्रीय अखंडता को पूरी तरह से संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इसके लिए ऐसे कुछ ठोस कदम उठाएंगे-

- "एक सीमा-एक बल" का सिद्धांत अपनाया जायेगा।
- म्यांमार सीमा पर विशेष ध्यान देते हुए और एक "स्मार्ट फेंस" का निर्माण किया जायेगा जो कि प्रौद्योगिकी एवं भौतिक बाधा की सहायता से घुसपैठ और तस्करी के रोक में सहायक सिद्ध होगा।
- सभी भारतीय सीमाओं के पार एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली।
- सीमा सड़क संगठन के पुनर्गठन के द्वारा सीमा पर बुनियादी ढाँचे के विकास को गति प्रदान करना, इसके लिए समुचित धन आवंटित करना और भूमि अधिग्रहण में तीव्रता लायी जाएगी।
- 'राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण' स्थापित करने हेतु तटीय सुरक्षा विधेयक पारित करना और तट रक्षकों का सुदृढ़ीकरण करना। वर्तमान में तटीय सुरक्षा के प्रबंधन में 15 एजेंसियां शामिल हैं, जिससे अधिकार क्षेत्र और समन्वय की समस्याएं पैदा होती हैं, हम विभिन्न एजेंसियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे और उन्हें कारगर बनाएंगे।
- आने वाले समय में मिसाइल डिफेन्स सिस्टम का निर्माण किया जायेगा।

2. सैन्य क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण- भारत ने हमेशा विश्व स्तर पर शांति और सद्भाव का समर्थन किया है। परन्तु हम शांति के प्रति तभी आश्वस्त हो सकते है, जब हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकने में सक्षम होंगे। आज, तीनों सेवाओं में महत्वपूर्ण क्षमता की कमी है, जिसमें विशेष रूप से पिछले 5 वर्षों में तीव्रता से गिरावट आयी है। इसका प्रमुख कारण कुल रक्षा बजट का रक्षा परिव्यय में "आधुनिकीकरण बजट" के अनुपात में भारी गिरावट है। यह वर्ष 2013-14 में 26% होता था जो कि वर्ष 2018-19 में घटकर 18% रह गया। नतीजतन, मार्च 2018 में, तत्कालीन उप सेना प्रमुख ने रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को बताया कि सेना का 68 प्रतिशत उपकरण "विंटेज श्रेणी" का है। साथ ही, प्रचलित बजट आवंटन आधुनिक योजनाओं को शुरू करने को तो छोड़िये, पिछले आपातकालीन खरीद की किस्तों के भुगतान के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं।
कांग्रेस मौजूदा सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा से निपटने और सशस्त्र बलों की जायज मांगों की अनदेखी करने एवं उसे जटिल बनाने के लिए कड़ी निंदा करती है।
कांग्रेस इस गंभीर संकट को मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं तत्काल निम्नलिखित निर्णयों द्वारा सुलझाएगी:

- रक्षा मंत्रालय को (MoD) सेवारत अधिकारियों के पद के साथ एक पूरी तरह से एकीकृत मुख्यालय में तब्दील किया जायेगा। एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) को राजनीतिक नेतृत्व के प्राथमिक सलाहकार के रूप में तुरंत नियुक्त किया जाएगा। साथ ही, एकीकृत MoD और CDS मिलिट्री सैन्य शक्ति, आधुनिकीकरण की योजनाओं की देख-रेख और समन्वय किया जायेगा, जो कि अंतर-क्षमता बढ़ान, संयुक्तता बढ़ाने और तीन सेवाओं के बीच संसाधनों का पूरा उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- थल सेना, नौसेना और वायु सेना को एक एकीकृत युद्धक बल में बदलने के लिए वर्तमान और भविष्य की बल संरचनाओं की एक व्यापक समीक्षा की जाएगी। सैन्य बल संरचना जो इस समीक्षा से निकलती है, वह मध्य से लम्बे अवधि तक सैन्य क्षमता के विकास योजना का आधार बनेगी।

• एड-हॉक बजट आवंटन की वर्तमान प्रणाली को तुरंत बदल दिया जाएगा और एक ऐसा बजट लाया जायेगा जो दीर्घकालिक क्षमता विकास योजना पर आधारित हो तथा सरकार की सर्वसम्मति द्वारा तीनों सेवाओं और रक्षा विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया हो।
• वर्तमान रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (DPP) सैन्य सम्बंधित खरीददारी को सरल बनाने या तेज करने में पूरी तरह से विफल रही है। हम गुणात्मक आवश्यकताओं को वास्तविक रूप से फ्रेम करेंगे (वर्तमान आवश्यकताओं और मौजूदा खतरों के आधार पर) और समय बचाने के लिए मूल्यांकन परीक्षणों को संयोजित करेंगे। इसके साथ ही उन सर्विस प्लेटफार्मों और उपकरणों की खरीद को तुरंत दोहराये जाने के आदेश दिए जायेंगें, जो स्वदेशी रूप से निर्मित और विकसित किये गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानलों के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को खरीद में किसी भी अनुचित देरी के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

3. सुरक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण- भारत तब तक एक मजबूत सैन्य शक्ति नहीं बन सकता जब तक कि वह स्वदेशी उत्पादन क्षमता का विकास नहीं करता। भारत सरकार की वर्तमान रणनीति ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत विदेशी उपकरणों के निर्माण को प्राथमिकता दी है, जो फ्रूवेन और इन-सर्विसष् उपकरणों की खरीद को अनिवार्य करता हैए जो सेना को उन उपकरणों को खरीदने के लिए मजबूर करता है जो पहले से ही अपने विकास चक्र से गुजर चुके हैं, और इस प्रकार ये हथियार अत्याधुनिक होने से दशकों पिछड़े हैं। कांग्रेस इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए यह सुनिश्चित करेगी कि रक्षा मंत्रालय एक मजबूत रक्षा औद्योगिकी नीति को प्रोत्साहित करे। इसके लिए-
• निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जाएगी एवं एक रणनीति के तहत से रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों की जवाबदेही तय की जाएगी।
• DRDO के क्षेत्रों जैसे- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, स्वायत्त प्रणाली, क्वांटम प्रौद्योगिकी को अपनाने की प्रणाली को विस्तृत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के रिसर्च और डेवलपमेंट आधार को मजबूत बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
• अमेरिकाए रूस, इजराइल और फ्रांस जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ संयुक्त रिसर्च और डेवलपमेंट के रास्ते को अपनाया जायेगा।

4. खुफिया तंत्र का सुदृढ़ीकरण- राष्ट्र की सुरक्षा में खुफिया तंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचालन और फ्रूटनीति के दृष्टिकोण से कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी सैन्य अभियानों के दौरान गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं। हालांकि, हमारी खुफिया संरचना अपर्याप्त संसाधन आवंटन, जनशक्ति में कमी के कारण अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। कांग्रेस स्पष्ट जिम्मेदारी और जवाबदेही को तय करते हुए मौजूदा खुफिया तंत्र का पुनर्गठन करेगी। पुनर्गठन के रूप में हमारे ये कदम होंग-
• एक कैरियर खुफिया कैडर स्थापित करना जो कि विषय और क्षेत्रीय विशेषज्ञता, सिद्ध भाषा क्षमता, और स्थानीय रीति-रिवाजों के साथ परिचित होने की योग्यता रखे।
• खुफिया काम के लिए नागरिक सेवाओं, सशस्त्र बलों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों सहित समाज के सबसे व्यापक स्पेक्ट्रम से ऐसे कर्मियों को चुनना जिनकी ऐसे कामों में अभिरुचि हो।
• तकनीकि खुफिया तंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं मानवीय क्षमताओं में खामियों को सुधारना।
• संचालन की सुरक्षा और परिचालन विवरणों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
• राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के कार्यालय को एक वैधानिक आधार प्रदान किया जायेगा। उनकी शक्तिया-कार्यों को कानून के तहत परिभाषित किया जाएगों, और दोनों प्राधिकरणों और उनके अधीन एजेंसियां संसद के प्रति जवाबदेह होंगी।
• मानकों और प्रदर्शनों का नियमित रूप से ऑडिट करने और सुधार के लिए इंटेलिजेंस पर एक संसदीय स्थायी समिति का गठन किया जायेगा।

5. साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना- साइबर हमलों से भारत को सुरक्षित करने के लिऐं, हमें अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत कर नए संस्थागत ढांचे बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित प्राथमिक कार्रवाई की जाएगी:
• साइबर हमलों से निपटने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाई जाएगीं, जिसमें साइबर हमले को हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ एक शत्रुतापूर्ण कार्य माना जाएगा। भारत इसके जवाब में सभी राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करके साइबरें, सैन्य, राजनयिक और आर्थिक शक्तियों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा।
• इसके साथ ही पहले से ही घोषित साइबर एजेंसी को एक पूर्ण साइबर कमान में अपग्रेड किया जायेगा तथा साइबर कमांड के पास पूर्ण-स्पेक्ट्रम साइबरस्पेस संचालन करने के लिए एक स्पष्ट जनादेश होगा।
• भारतीय कंपनियों द्वारा डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। यह विदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर अत्यधिक निर्भरता की कमजोरियों को रोकेगा। घरेलू कंपनियों को उपकरण खरीदने में प्राथमिकता दी जाएगी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

प्रकाशन
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति,
24, अकबर रोड, नई दिल्ली
पिन: 110001